

घा

201118 पत्रावली पेशा वकील वाकी उपर उल्लिखित  
सिवाकी के। अनुपस्थित है। वारं वारं उल्लिखित  
वकील है न, दिनांक 2012118 को पेशा

2012118 पत्रावली पेशा वकील वाकी उपर उल्लिखित  
सिवाकी के। अनुपस्थित है। पूर्णतया दि.  
2013118 को पेशा है

26 3/18 पत्रावली पेशा वकील वाकी उपर है। उल्लिखित  
। न किन्तु एक लफ्फा नामवाली सी पाली थी  
वहाँ पत्रावली प्रतिकादी ने 24.5.18 को पेश है।  
राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केम्प  
स्थान साहेबपुर नं० 11 / 5 / 18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प -  
साहेबपुर नं० 11 पर पेश। प्रतिकादी नम्बर 2 का  
जवाब पेश। मांग काट किया गया। वादी  
एवं प्रतिकादी उपर है।

सं. नं.  
र. त. गुडडीवाड़ी

र. त. गुडडीवाड़ी

राजस्व लोक अदालत  
ध्याय आपके द्वार अभियांत्रिकी  
मकत साह

तारीख हुयम जरी न्याय बापके वा बंधुवाक्य	हुयम जरी वीक अवाक्य शा कारनाही मय हुनिशियल जज	नम्बर व र अहकाम व हुयम की में जारी
	<p>           उक्त में ग्राम जगपुरापुरा सी 2 मि. ख. नं.            215, 216/1 किला 2 रकबा 1.08 हेक्टर पर            वारी की वलियत शिवनाथमठा रज है। ग्राम            जगपुरा के नामांक नं. 403 दि. 5.4.12 के द्वारा            शिवनाथमठा पुत्र गौपी के ब्याप पर वारी व            अलि. नं. 1 तथा वारी सी मां (सुलक) कमलाबाई            का नाम अंकित है। ग्राम चन्द्रपुरा सी 2 मि            ख. नं. 426, 427, 428, 429, 430 किला 5            रकबा 0.69 हे. पर वारी की वलियत -            चांसी रज है। उक्त 2 मि ग्राम चन्द्रपुरा            के नामांक नं. 360/245 दि. 20.4.2012            के द्वारा चांसी 510 गौपी के ब्याप पर            वारी, अलि. वारी नम्बर 1 तथा वारी सी            मां (सुलक) कमलाबाई का नाम अंकित -            है।         </p> <p>           मृत्यु प्रमाण पत्र जारी द्वारा रजिस्ट्रार            जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत रजि. नं. 69            दि. 6.12.11 में मृतक चांसीलाल उर्फ            शिवनाथमठा पुत्र गौपी अंकित है। कोरे            पहचान पत्र एवं आघाट कार्ड नं. 200667            637037 में भी वारी की वलियत            चांसीलाल है।         </p> <p>           दोनों ग्रामों के नामांकाल में भी            चांसीलाल 510 गौपी के ब्याप वारी व            अलि. नं. 1 तथा शिवनाथमठा 510 गौपी            के ब्याप भी वारी व अलि. वारी नं. 1         </p>	

तारीख

हुकम

राजस्थान लोक न्यायालय  
भाय आपके द्वार अतिरिक्त

या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

का नाम ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार  
वादी श्री शै गामों (1) जगपुरा व (2) चंभुपुरा  
में वलियत प्रमक-प्रमक अंकित है।  
वादी का कथन है, कि शिवनारायण पुत्र  
गोपी व चांली पुत्र गोपी एक ही व्यक्ति  
हैं, भ्राते वह उसके पिता हैं वादी के  
कथनों की पुष्टि नामान्तरण की प्रतियाँ  
तथा मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज  
के होते हैं।

प्रकार के सुवावगुण पर सम्पर्क  
मननापरान्त हम यह पाते हैं, कि वाद  
वादी अन्ततः स्वीकार योग्य है।

अतः राया वादी अन्ततः स्वीकार किया  
जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि ग्राम -  
जगपुरा <sup>(ख.नं: 215 व 216/1)</sup> पर वादी भतलाल की वलियत  
शिवनारायण के स्थान पर शिवनारायण  
उर्फ चांली दर्ज की जावे। राजस्थान  
अभिलेख में अमल रामद ही तदनुसार  
पिंडी पन्चा मुर्तिब है। <sup>६५</sup>

(छ.ल. गोपाल जोषन)  
उपखण्ड अधिकारी  
राज्यजन्पडी

विर्जय में द्वारा लिखाया जाकर आज  
दि 11-05-2018 को राजस्थान लोक न्यायालय  
कम्प सांखेड़ापुरी पर सुनाया गया। <sup>६५</sup>

(छ.ल. गोपाल जोषन)  
R. N. S.  
उपखण्ड अधिकारी  
राज्यजन्पडी